न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 12/18

अनवान :

बलवानसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र अर्जन जाति जाट निवासी झिलौदा तहसील भादरा।
2. सुरेशकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झिलौदा तहसील भादरा।
3. कुलदीपसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झिलौदा तहसील भादरा।
4. आरएमजीबी शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक अजीतपुरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां **: वादी**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा झिलौदा के वर्तमान खाता सं0 103/102 के खसरा सं0 54 की 1.834 है0 खसरा सं0 126 की 1.897 है0, खसरा सं0 321 की 5.337 है0 खसरा सं0 353 की 13.974 है0 खसरा सं0 372 की 4. 756 है0 कुल किता 5 की 27.798 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी प्रतापसिंह वल्द अर्जन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

उक्त वाद भूमि पहले वादी के दादा अर्जन वल्द चुनीराम की खातेदारी हुआ करती थी। अर्जन के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि में 1/3 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन प्राप्त हुआ था परन्तु विरासतन इन्तकाल कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार उक्त भूमि वादी की दादालाई होने के कारण उसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2042 ता 2045 संलग्न है जिससे वादभूमि वादी के दादा अर्जन के नाम से दर्ज होना साबित है।

वादभूमि तन्हा प्रतापसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है तथा प्रतिवादी प्रतापसिंह प्रतिवादी सं0 2 व 3 के प्रभाव एवं असर में है तथा वादभूमि तन्हा प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम दर्ज होने के चलते बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के वादभूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि वे वादभूमि को आगे रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 4 व 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी बलवानसिंह पुत्र प्रतापसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम झिलौदा खाता सं0 103/102 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबान्दी खतौनी ग्राम झिलौदा सम्वत् 2052–55 प्रदर्श 2, असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम झिलौदा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि हेतु जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबान्दी खतौनी ग्राम झिलौदा सम्वत् 2052–55 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा अर्जन वल्द चुनीराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रदर्शित असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में प्रतापसिंह के वारिसान में तीन पुत्र बलवान सिंह, सुरेश कुमार, कुलदीप सिंह मौजूद होना व उक्त वारिसान सही एवं जायज होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा झिलौदा के वर्तमान खाता सं0 103/102 के खसरा सं0 54 की 1.834 है0 खसरा सं0 126 की 1.897 है0, खसरा सं0 321 की 5.337 है0 खसरा सं0 353 की 13.974 है0 खसरा सं0 372 की 4.756 है0 कुल किता 5 की 27.798 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी प्रतापसिंह वल्द अर्जन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अकेले के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16·3·18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 12/18

अनवान :

बलवानसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र अर्जन जाति जाट निवासी झिलौदा तहसील भादरा।
2. सुरेशकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झिलौदा तहसील भादरा।
3. कुलदीपसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झिलौदा तहसील भादरा।
4. आरएमजीबी शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक अजीतपुरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा झिलौदा के वर्तमान खाता सं0 103 / 102 के खसरा सं0 54 की 1.834 है0 खसरा सं0 126 की 1.897 है0, खसरा सं0 321 की 5. 337 है0 खसरा सं0 353 की 13.974 है0 खसरा सं0 372 की 4.756 है0 कुल किता 5 की 27.798 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी प्रतापसिंह वल्द अर्जन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अकेले के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16·3·18...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)